कार्रवाई | लेखपाल ने निलंबन बहाली के बदले में सचिव से मांगी थी रिश्वत, जबलपुर लोकायुक्त की कार्रवाई

रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार

नवभारत, कटनी। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने गुरुवार को जिला पंचायत की स्थापना शाखा में पदस्थ लेखपाल को पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेखपाल ने एक ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन को बहाल कराने के बदले में रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत सचिव ने लोकायुक्त जबलपुर से की थी। जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई है।

लोकायुक्त में शिकायत करने वाले फरियादी ग्राम सचिव आशीष कुमार दुबे ने बताया कि वर्ष 2024 में ग्राम पंचायत बसाड़ी में पदस्थ रहते हुए उन पर लोकायुक्त की कार्रवाई हुई थी, जिसमें उन्हें सह-आरोपी बनाया गया था। इसके छह महीने बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अपनी बहाली के लिए आशीष दुबे ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने 30 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद, एक साल बीत जाने पर भी लेखपाल सत्येंद्र सोनी ने उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ाई और मोबाइल फोन की मांग पर अड़ा रहा। लोकायुक्त इंस्पेक्टर बृजमोहन के अनुसार आरोपी लेखपाल शुरुआत में मोबाइल फोन की मांग कर रहा था। ग्राम सचिव द्वारा असमर्थता जताने पर लेखपाल ने किस्तों में पैसे लेने की सुविधा देने के लिए सहमत जताई। 23 फरवरी को शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने लेखपाल को रिश्वत रंगेहाथों रिश्वत लेते पकड़े जाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार गुरूवार को लोकायुक्त जबलपुर की टीम कटनी पहुंची। जैसे ही लेखपाल सत्येंद्र सोनी ने रिश्वत के पांच हजार रूपए लिए, तभी लोकायुक्त की सात सदस्यीय टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया।

बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर बीएमओ को नोटिस

नवभारत, कटनी। कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहोरीबंद के औचक निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए गए खंड चिकित्सा अधिकारी को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राज सिंह ठाकुर ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर ने गुरूवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहोरीबंद का औचक निरीक्षण किया, जहां बीएमओ सहित वहां पदस्थ बॉण्डेड चिकित्सक बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के अपने निर्धारित कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि केंद्र पर सिर्फ एक ही चिकित्सक उपस्थित मिले, जो नियमों के खिलाफ ओपीडी में मरीजों का इलाज कर रहे थे। गंभीर लापरवाही पर सीएमएचओ ने बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

बीच सड़क पलटा तेज अनियंत्रित ट्रक,लगा जाम

रीठी-कटनी मार्ग पर पलटा कोयले से भरा ट्रक

नवभारत, कटनी। जिले के रीठी-कटनी मार्ग पर गुरुवार को लाल तलैया के पास कोयले से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों-बीच पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। सड़क के दोनो ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार ट्रक अत्यधिक तेज गति में था। लाल तलैया के पास मोड़ पर अचानक संतुलन बिगड़ने से चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। ट्रक पलटने से काफी मात्रा में कोयला पूरी सड़क पर बिखर गया। राहत की बात यह रही कि जिस समय ट्रक पलटा, उस दौरान आसपास कोई अन्य छोटा वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था। ट्रक पलटने के बाद कोयला फैलने और ट्रक के सड़क के बीच में होने के कारण एम्बुलेंस, बसें और निजी वाहन घंटों फंसे रहे। यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को धूप में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों में सहयोग दिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। क्रेन की मदद से ट्रक को किनारे करने और सड़क पर फैले कोयले को साफ करने का काम शुरू कर दिया है। काफी देर बाद आवागमन शुरू किया गया।

अवैध कॉलोनी में चली जेसीबी, दर्ज कराई एफआईआर

नगर निगम की टीम ने तीन अवैध कॉलोनाइजरों पर की कार्रवाई

नवभारत, कटनी। नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने तीन अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई की है। नगर निगम टीम ने कॉलोनी काटने के लिए बनाई गई सरंचना को जेसीबी से तोड़ दिया है। साथ ही तीनों अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र थाने में दिया है। नगर निगम के कालोनी सेल और अतिक्रमण टीम द्वारा अमीरगंज के एक अवैध कॉलोनी के प्रकरण में निर्मित संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की गई। अनाधिकृत कॉलोनी के निर्माण के तीन प्रकरणों पर कॉलोनाइजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी कोतवाली और माधव नगर थाने में पत्र दिया गया है। नगर निगम सीमान्तर्गत रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड में अमीर गंज के पास अवैध कॉलोनी निर्माण किउ जाने की शिकायत पर गठित संयुक्त टीम द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान संबंधित कॉलोनी में बगैर अनुमति के विकास कार्य और निर्माण किए जाने पर कार्रवाई की गई। नगर निगम कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह ने बताया कि पूर्व में भी प्राप्त शिकायत पर संबंधित कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर संबंधित पक्ष को वैधानिक अनुमति प्रस्तुत करने, निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर निर्माण कार्य जेसीबी मशीन से तोड़ने की कार्रवाई की गई है। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि अवैध कॉलोनी निर्माण करने पर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत तीनों अवैध कॉलोनाइजर पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी कोतवाली और माधवनगर को पत्र प्रेषित किया है। जिसमें कोतवाली थाने में दो कॉलोनाजर और एक शिकायत माधवनगर थाने में दर्ज कराई गई है।

कार्यपालन यंत्री ने बताया कि सावरकर वार्ड अंतर्गत करीब 1.50 एकड़ भूमि में भू-स्वामी द्वारा लगभग 200 मीटर लंबी सड़क मलमा, डस्ट डालकर अवैध कॉलानी का निर्माण किया गया था। वहीं एक अन्य प्रकरण में जगमोहन दास वार्ड चडडा कॉलेज के पीछे 0.633 हेक्टेयर भूमि में अनाधिकृत कालोनी का निर्माण किया जाना पाया गया। वहीं एक अन्य प्रकरण में थाना माधवनगर को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रेषित पत्र में उल्लेखित किया गया है। जिसमें बताया गया है कि विश्राम बाबा वार्ड अंतर्गत खसरा नंबर 1401/2/1, 1401/2 भूमि पर भू-स्वामी द्वारा छोटे-छोटे भूखंड काटकर अवैध कालोनी का निर्माण किया गया। नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। निगमायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शहर में अवैध कॉलोनियों का विकास और अनधिकृत निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में लगातार अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने कॉलोनाइजरों से जहां निगम से विधिवत स्वीकृति प्राप्त कर ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने की बात कही है वही आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट या संपत्ति क्रय करने से पूर्व उसकी वैधानिक स्वीकृति, लेआउट अनुमोदन और मूलभूत अधोसंरचना की स्थिति की विधिवत जांच अवश्य करें। अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से भविष्य में कानूनी जटिलताओं, निर्माण प्रतिबंधों और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

प्रदेश के टॉप फाइव में शामिल हुआ जिला

नवभारत, कटनी। समग्र आईडी को आधार से लिंक कर ई-केवाईसी पूर्ण करने के मामले में कटनी जिला प्रदेश के टॉप पांच जिलों में शामिल हो गया है। कलेक्टर आशीष तिवारी की नियमित मॉनिटरिंग की वजह से यह स्थान मिला है। अभियान के तहत अब तक जिले के 12 लाख 13 हजार 356 नागरिकों की समग्र ई-केवाईसी पूरी की गई है, यह आंकड़ा कुल निर्धारित लक्ष्य का करीब 92 प्रतिशत है। प्रशासन द्वारा शेष लक्ष्य को भी पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में समग्र ई-केवाईसी के कार्य में नगर परिषद कैमोर अग्रणी है, जहाँ अब तक 13 हजार 961 नागरिकों की ई-केवाईसी पूरी की गई है। वहीं जनपद पंचायत बड़वारा अपेक्षाकृत अंतिम पायदान पर है, जहाँ 1 लाख 92 हजार 996 नागरिकों का सत्यापन कार्य पूरा किया गया है। इसी क्रम में नगर परिषद बरही में 13 हजार 6, नगर परिषद विजयराघवगढ़ में 8 हजार 23 नागरिकों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है। नगर निगम में 1 लाख 65 हजार 917, जनपद पंचायत कटनी में 1 लाख 42 हजार 606, जनपद पंचायत बहोरीबंद में 1 लाख 96 हजार 149, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में 1 लाख 76 हजार 457, जनपद पंचायत रीठी में 1 लाख 24 हजार 522, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ में 1 लाख 79 हजार 719 नागरिकों का सत्यापन कार्य संपन्न किया गया है। आईडी की आधार से ई-केवाईसी प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, कियोस्क और लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से करा सकते हैं।

स्कूल भवन में घुसा तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप

स्लीमनाबाद क्षेत्र में हुआ हादसा, पुलिस ने शुरू की जांच

नवभारत, कटनी। जिले के स्लीमनाबाद थना अंतर्गत क्षेत्र में एक तेज रफ्तार एक पिकअप वाहन सरस्वती स्कूल के भवन में जा घुसी। हादसे के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। जिस दौरान यह हादसा हुआ, उस समय स्कूल में लगभग सौ सौ छात्र मौजूद थे। हालांकि किसी भी बच्चे कोई चोट नहीं आई। हादसे के बाद स्कूल के बाहर काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के ने बताया पिकअप की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह स्कूल की दीवार और अगले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूल भवन का आगे का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। मलबे और धूल के गुबार के बीच बच्चों में चीख-पुकार मच गई। हादसे के दौरान स्कूल में लगभग 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बिल्डिंग का अगला हिस्सा ढह जाने के कारण बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। आनन-फानन में स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाई और स्कूल के पीछे का दरवाजा तोड़कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरक्षित बाहर निकलते ही बच्चों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। हादसे की सूचना मिलते ही स्लीमनाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में ले लिया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

जल कर जमा नहीं करने पर काटे गए नल कनेक्शन

नवभारत, कटनी। जलकर जमा नहीं करने पर नगर निगम की टीम ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में 6 नलों का कनेक्शन काट दिया है। उपयंत्री मृदुल श्रीवास्तव ने बताया कि बार-बार सूचित करने के बाद भी जलकर की राशि जमा नहीं करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के उपभोक्ता क्रमांक 1002305241 पर 54 हजार 717, उपभोक्ता क्रमांक 1002308729 पर 92 हजार 774 रुपए, उपभोक्ताओं क्रमशः 1002305246 पर 48 हजार 162 रुपए, उपभोक्ता क्रमांक 1002305593 पर 92 हजार 573 रुपए, उपभोक्ता क्रमांक 100230 6720 पर 55 हजार 753 और उपभोक्ता क्रमांक 1002307489 पर 48 हजार 910 रुपए की जलकर की राशि बकाया थी। राशि को निगम कोष में जमा करने सूचित किया गया। बावजूद इसके राशि जमा नहीं की गई। जिसके बाद कार्रवाई की गई है।

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का लेख प्रशिक्षण एक अप्रैल से

नवभारत, कटनी। जबलपुर संभाग के सभी शासकीय कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लेखा प्रशिक्षण का नवीन सत्र आगामी 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो रहा है। यह प्रशिक्षण सत्र 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। संभाग के सभी कार्यालय प्रमुखों के अधीन कार्यरत नियमित लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिन्होंने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के 1 जुलाई 2013 के परिपत्र, मप्र शासन वित्त विभाग के 23 दिसंबर 2025 के आदेश के अनुसार अनिवार्य अर्हता पूरी करते हैं, वे 16 मार्च 2026 शाम 6 बजे तक कार्यालय प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला जबलपुर, सुपर मार्केट तीसरी मंजिल गंजीपुरा रोड पर आवेदन कर सकते हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत जारारोड़ा
जनपद पंचायत विजयराघवगढ़, जिला- कटनी (म.प्र.)
क्र./निविदा/ग्रा पं /2025-26/11 दिनाँक-26/02/2026
निर्माण सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रण
ग्राम पंचायत जारारोड़ा, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़, में निर्माण कार्यों के लिए निम्न सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु आवश्यकता है, जो सामग्री प्रदायकर्ता, सामग्री प्रदाय करने के इच्छुक हों दिनांक 15/03/2026 से पहले ग्राम पंचायत कार्यालय में अपनी दरें प्रस्तुत करें। प्रदायकर्ता का मनरेगा पोर्टल पर वैध पंजीयन GST होना चाहिए। वेंडर की वैधता के संदर्भ में लेखाधिकारी श्री रावल जी 9926232202 से संपर्क किया जा सकता है, उनकी GST पंजीयन पत्र में सभी सामग्री का लेख होना चाहिए। उक्त निविदा माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक के लिए मान्य होगी। सामग्री विवरण सारणी :- 1. 20mm × 40mm गिट्टी 2. रेत 3. सीमेंट 4. ईंट 5. सरिया, एंगल आयरन, GI गाटर शीट 6. परिवहन 7. PVC आइटम 8. बिजली फिटिंग सामग्री9. पत्थर, फर्शी 10. टाइल्स, मार्बल 11. पौधे, गोबर खाद, पोटास, रासायनिक खाद, आर.सी.सी खंबे व कटेली तार आदि।
सरपंच श्रीमती मुन्नी बाईकोल — सचिव श्रीमति सीमा गर्ग

कार्यालय ग्राम पंचायत खजुरा
जनपद पंचायत विजयराघवगढ़, जिला- कटनी (म.प्र.)
क्र./निविदा/ग्रा पं /2025-26/14 दिनाँक-26/02/2026
निर्माण सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रण
ग्राम पंचायत खजुरा, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़, में निर्माण कार्यों के लिए निम्न सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु आवश्यकता है, जो सामग्री प्रदायकर्ता, सामग्री प्रदाय करने के इच्छुक हों दिनांक 15/03/2026 से पहले ग्राम पंचायत कार्यालय में अपनी दरें प्रस्तुत करें। प्रदायकर्ता का मनरेगा पोर्टल पर वैध पंजीयन GST होना चाहिए। वेंडर की वैधता के संदर्भ में लेखाधिकारी श्री रावल जी 9926232202 से संपर्क किया जा सकता है, उनकी GST पंजीयन पत्र में सभी सामग्री का लेख होना चाहिए। उक्त निविदा माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक के लिए मान्य होगी। सामग्री विवरण सारणी :- 1. 20mm × 40mm गिट्टी 2. रेत 3. सीमेंट 4. ईंट 5. सरिया, एंगल आयरन, GI गाटर शीट 6. परिवहन 7. PVC आइटम 8. बिजली फिटिंग सामग्री 9. पत्थर, फर्शी 10. टाइल्स, मार्बल 11. पौधे, गोबर खाद, पोटास, रासायनिक खाद, आर.सी.सी खंबे व कटेली तार आदि।
सरपंच श्रीमती हीरा बाई — सचिव श्री गोपीलाल लोधी

कार्यालय ग्राम पंचायत हथेडा
जनपद पंचायत विजयराघवगढ़, जिला- कटनी (म.प्र.)
क्र./निविदा/ग्रा पं /2025-26/12 दिनाँक-26/02/2026
निर्माण सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रण
ग्राम पंचायत हथेडा, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़, में निर्माण कार्यों के लिए निम्न सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु आवश्यकता है, जो सामग्री प्रदायकर्ता, सामग्री प्रदाय करने के इच्छुक हों दिनांक 15/03/2026 से पहले ग्राम पंचायत कार्यालय में अपनी दरें प्रस्तुत करें। प्रदायकर्ता का मनरेगा पोर्टल पर वैध पंजीयन GST होना चाहिए। वेंडर की वैधता के संदर्भ में लेखाधिकारी श्री रावल जी 9926232202 से संपर्क किया जा सकता है, उनकी GST पंजीयन पत्र में सभी सामग्री का लेख होना चाहिए। उक्त निविदा माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक के लिए मान्य होगी। सामग्री विवरण सारणी :- 1. 20mm × 40mm गिट्टी 2. रेत 3. सीमेंट 4. ईंट 5. सरिया, एंगल आयरन, GI गाटर शीट 6. परिवहन 7. PVC आइटम 8. बिजली फिटिंग सामग्री 9. पत्थर, फर्शी 10. टाइल्स, मार्बल 11. पौधे, गोबर खाद, पोटास, रासायनिक खाद, आर.सी.सी खंबे व कटेली तार आदि।
सरपंच श्रीमती गीता देवी सिंह — सचिव श्री नागेन्द्र दाहिया

कार्यालय ग्राम पंचायत कारीतलाई
जनपद पंचायत विजयराघवगढ़, जिला- कटनी (म.प्र.)
क्र./निविदा/ग्रा पं /2025-26/15 दिनाँक-26/02/2026
निर्माण सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रण
ग्राम पंचायत कारीतलाई, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़, में निर्माण कार्यों के लिए निम्न सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु आवश्यकता है, जो सामग्री प्रदायकर्ता, सामग्री प्रदाय करने के इच्छुक हों दिनांक 15/03/2026 से पहले ग्राम पंचायत कार्यालय में अपनी दरें प्रस्तुत करें। प्रदायकर्ता का मनरेगा पोर्टल पर वैध पंजीयन GST होना चाहिए। वेंडर की वैधता के संदर्भ में लेखाधिकारी श्री रावल जी 9926232202 से संपर्क किया जा सकता है, उनकी GST पंजीयन पत्र में सभी सामग्री का लेख होना चाहिए। उक्त निविदा माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक के लिए मान्य होगी। सामग्री विवरण सारणी :- 1. 20mm × 40mm गिट्टी 2. रेत 3. सीमेंट 4. ईंट 5. सरिया, एंगल आयरन, GI गाटर शीट 6. परिवहन 7. PVC आइटम 8. बिजली फिटिंग सामग्री 9. पत्थर, फर्शी 10. टाइल्स, मार्बल 11. पौधे, गोबर खाद, पोटास, रासायनिक खाद, आर.सी.सी खंबे व कटेली तार आदि।
सरपंच श्रीमती निधि शुक्ला — सचिव श्री ध्यानलाल साहू

कार्यालय ग्राम पंचायत जमुआनीकला
जनपद पंचायत विजयराघवगढ़, जिला- कटनी (म.प्र.)
क्र./निविदा/ग्रा पं /2025-26/13 दिनाँक-26/02/2026
निर्माण सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रण
ग्राम पंचायत जमुआनीकला, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़, में निर्माण कार्यों के लिए निम्न सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु आवश्यकता है, जो सामग्री प्रदायकर्ता, सामग्री प्रदाय करने के इच्छुक हों दिनांक 15/03/2026 से पहले ग्राम पंचायत कार्यालय में अपनी दरें प्रस्तुत करें। प्रदायकर्ता का मनरेगा पोर्टल पर वैध पंजीयन GST होना चाहिए। वेंडर की वैधता के संदर्भ में लेखाधिकारी श्री रावल जी 9926232202 से संपर्क किया जा सकता है, उनकी GST पंजीयन पत्र में सभी सामग्री का लेख होना चाहिए। उक्त निविदा माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक के लिए मान्य होगी। सामग्री विवरण सारणी :- 1. 20mm × 40mm गिट्टी 2. रेत 3. सीमेंट 4. ईंट 5. सरिया, एंगल आयरन, GI गाटर शीट 6. परिवहन 7. PVC आइटम 8. बिजली फिटिंग सामग्री 9. पत्थर, फर्शी 10. टाइल्स, मार्बल 11. पौधे, गोबर खाद, पोटास, रासायनिक खाद, आर.सी.सी खंबे व कटेली तार आदि।
सरपंच श्री राजेश — सचिव श्री रामेश्वर पटेल

पीएमश्री स्कूल की परखी गई अध्यापन और मध्यान्ह भोजन व्यवस्था

संयुक्त सचिव ने किया पीएम श्री स्कूल का निरीक्षण

नवभारत, रीठी। केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार भारत सरकार के सयुक्त सचिव फूलचंद प्रसाद द्वारा शाला की व्यवस्थाओं पर आधारित 21 बिन्दुओं पर निरीक्षण किया गया। जिसमें उनके द्वारा स्कूल की व्यवस्थाओं पर शिक्षकों की सराहना की गई और नवीन सत्र में अधिक से अधिक नामांकन करने पर जोर दिया गया। उनके द्वारा प्रत्येक कक्षा में जाकर बच्चों से संवाद किया गया। स्कूल में चल रही विभिन्न योजनाओं जैसे मध्यान्ह भोजन, पुस्तकालय, पठन-पाठन, खेल गतिविधियों की जानकारी ली गई। उनके साथ लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के संयुक्त संचालक आरके डेकाडे, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश अग्रहरी, एडीपीसी धनश्री जैन, एपीसी अभय जैन, आलोक पाठक, तहसीलदार सहित शाला के प्रधानाध्यापक प्राण सिंह ठाकुर, कृष्ण कुमार गुप्ता, श्रीमती अंजना शुक्ला, शालिनी सकवार, पुष्पलता मिश्रा, अतिथि शिक्षक सतेन्द्र विश्वकर्मा, सोनू विश्वकर्मा, गुमान सिंह सहित अन्य की उपस्थित रही।

निरीक्षण | कायाकल्प अभियान के तहत सड़क का कराया गया डामरीकरण, महापौर ने किया निरीक्षण

12 करोड़ की लागत से शहर की सड़कों का हुआ कायाकल्प, दो चरणों में कराया गया कार्य

नवभारत, कटनी। शहर की सड़कों को दुरुस्त कराकर बेहतर आवागमन सुविधा के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प अभियान के तहत नगर निगम को दो चरणों में 12 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। योजना के तहत सीएलपी पाठक वार्ड में करीब 41 लाख रूपए की लागत से सागर पुलिया से लक्ष्मी पान भंडार तक कराए जा रहे डामरीकरण कार्य का महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी ने औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के दो रेलवे स्टेशन सहित शहर से लगे विभिन्न ग्रामों को जाने वाले इस प्रमुख मार्ग के निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि लंबे समय तक इस सड़क का लाभ शहरवासियों को मिल सके। अभियान के तहत नगर के 19 विभिन्न स्थलों पर सीसी रोड, डामरीकरण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर शहरवासियों को सुगम, सुरक्षित, बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। नगर निगम द्वारा कायाकल्प योजना के प्रथम चरण के तहत शासन से प्राप्त राशि रूपए 7 करोड़ की लागत से नगर के जिन स्थलों में विकास कार्य कराए गए है। उनमें संत कंवरराम वार्ड में पोस्ट आफिस के सामने से माधवनगर स्टेशन पहुंच मार्ग तक सीसी रोड निर्माण, एनकेजे बजरिया में इलाहाबाद बैंक के एटीएम तक सीसीरोड निर्माण, कच्छ सॉ मिल से सीएलपी स्कूल तक सीसीरोड, वार्ड क्रमांक 2 में जायसवाल होटल से बजाज मैदा मिल तक सीसी रोड, कटनी नदी पुल से बस स्टैंड पेट्रोल पंप के पास, आडिटोरियम पहुंच मार्ग तक डामरीकरण कार्य, पीर बाबा में बिलहरी तिराहा तक डामरीकरण कार्य, बाबा नारायण शाह गेट से कुम्हार मोहल्ला होते हुए इमलिया रोड तक डामरीकरण कार्य, कटनी रेलवे स्टेशन से सुभाष चौक तक डामरीकरण कार्य और मंगल नगर रोड से गायत्री नगर पुलिया तक डामरीकरण का कार्य शामिल है। सभी कार्यों को पूरा कर लिया गया है। योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 5 करोड़ की लागत से बाबा नारायण शाह वार्ड में उप कार्यालय से आत्माराम दरबार तक डामरीकरण कार्य, हेमू कालाणी वार्ड में गीता भवन के पास से लेकर हनुमान मंदिर होते हुए पीएम दाल मिल तक डामरीकरण कार्य, माधव नगर मेन बाजार रोड में डामरीकरण कार्य सहित अन्य क्षेत्रों में डामरीकरण का कार्य पूरा कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मेयर इन काउंसिल के सदस्य और नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

KAMAKHYA REAL ESTATE
हम है आपकी हर जरूरत के लिए भरोसेमंद साथी...
आवासीय मकान और प्लाट, वाणिज्यि (कमर्शियल) संपत्तियां, औद्योगिक (इंडस्ट्रियल)
प्लॉट अब संपत्ति की खरीद-फरोख्त करें
पूरी पारदर्शिता और आसानी के साथ चाहे आपको चाहिए एक सुकून भरा घर रिहायशी प्लॉट
व्यवसाय के लिए दुकान
आपकी फैक्ट्री के लिए उपयुक्त जमीन
पूरे भारत में प्रॉपटी खरीदने के लिए संपर्क करें
AMIT GAUTAM +91 86430-19577, +91 96911-21453
E-mail: kamakhyarealstate@gmail.com

धर्मलोक हॉस्पिटल
A unit of Dharmlok Hospital Pvt. Ltd.
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED
दूरबीन से पित्त की पथरी की सर्जरी, दूरबीन से अपेंडिक्स सर्जरी, दूरबीन से ओपन पेट की सर्जरी, उन्नत तकनीक (स्टेपलर/लेटर) के फिस्टुला सर्जरी, स्तन सर्जरी, किडनी/ प्रोस्टेट/मूत्रालशय सर्जरी, मधुमेह पैर की देखभाल/सर्जरी, तीव्र और जीर्ण घाव प्रबंधन।
डॉ. राजेश बत्रा — एम.एस., एफ.एम.ए.एस., एफ.आई.ए.जी.ई.एस., एफ.ए.आई.एस. — जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन
सामान्य एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गठान, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, निःसंतानता, बच्चेदानी निकालना, सफेद पानी का इलाज, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी, बार-बार गर्भपात होना, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज/सिंड्रोम।
डॉ. हर्षा बत्रा — एमडी (ओबीजी) सोनोग्राफी डिप्लोमा — स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन विशेषज्ञ
आयुष्मान कार्डधारी मरीजों का एवं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड धारी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है।
ओपीडी सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
पता-आदर्श कालोनी रोड, कटनी (म.प्र.)
Ph. 07622-422390, 796084 Help line 24x7: 8305402024